



हुकम या कार्यवाही मया इनिशियल्स जज  
राजस्थान लोक अदालत / कोर्ट केस  
खाता नं. सी. 1/2018/24/5/18

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

इच्छित रिलीफ से सहमत है।

अतः सहमति की हद तक धारणा  
पत्र हस्त रिपोर्ट लक्ष्मीलाल शमशेरजी

स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया  
जाता है, कि ग्राम बीड़मंडी के खतबे

235, 238, 241 तथा खतबे 234, 239,  
240 का हाल खालेदालान के खाते में  
हस्ताया जाकर निम्न प्रकार खाते में  
दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं।

(1) कलाशबाई पत्नी लूकानसिंह खाति राजपूत  
साठ देह रहस बरबल ।

ख. नं. 235 (कबा) 0.06, 238 (कबा)  
0.31, 241 (कबा) 0.06 किला 3 (कबा)  
0.43 हेक्टर

(2) अचनबाई, अनन्दबाई, गोविन्दसिंह वगैरे  
(जमाबंदी 2071-74 खाता नं. 87 के खालेदालान)

खतबे 234, (कबा) 0.06, खतबे 239 (कबा)  
0.30, व 240 (कबा) 0.06 किला 3 (कबा)  
0.42 हेक्टर

उक्त खालेदालान के बकाय खतबे  
अप्रभावित रहेंगी रिकार्ड में अमल है।

निर्णय आज दि. 24.5.18 को राजस्थान  
लोक अदालत में सुनाया।

उद्य  
उपखण्ड अधिकारी  
शमशेरजी